पूज्य सन्तों के द्वारा श्रीअयोध्याजी 84 कोसी धार्मिक यात्रा को रोके जाने के सम्बन्ध में धरना/प्रदर्शन पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिए जाने वाला ज्ञापन

माननीय महोदय,

भारत एक हिन्दू प्रधान देश है। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकार किया है जिसमें हमारा संविधान हर व्यक्ति को उसकी धार्मिक परम्पराओं के अनुपालन का अधिकार देता है। साथ ही साथ यह भी अधिकार देता है कि वह देश की सरकार के सामने अपनी परम्पराओं, समस्याओं से सम्बंधित विषयों पर अपना पक्ष विभिन्न कार्यक्रमों, आन्दोलनों के माध्यम से पहुँचा सके। आपको ज्ञात होगा कि 1528 में बाबर द्वारा श्रीराम जन्मभूमि को तोड़कर एक ढाँचा खड़ा किया गया था, तब से अब तक 76 संघर्ष श्रीराम जन्मभूमि पर मन्दिर निर्माण के लिए चलते आ रहे हैं और लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। न्यायायिक प्रक्रिया भी बहुत लम्बी चली है। इस लम्बी न्यायायिक प्रक्रिया के बाद 30 सितम्बर, 2010 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने सर्वानुमति से यह निर्णय दिया कि वही स्थान श्रीराम जन्मभूमि है, जहाँ आज रामलला विराजमान हैं। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि सितम्बर, 1994 में सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति महोदय से प्रश्न के जबाव के समय दखल देते हुए केन्द्र सरकार ने यह स्वीकार किया था कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि यह ढाँचा किसी हिन्दू मन्दिर/स्थल को तोड़कर बनाया गया है तो सरकार की कार्यवाही हिन्दू पक्ष के अनुरूप होगी(संदर्भ–1994–6–SCC,पृष्ठ 383–इस्माइल फारूकी विरूद्ध भारत सरकार)। इसके साथ ही साथ मुस्लिम समाज द्वारा भी यह बार–बार कहा जाता रहा है कि यदि यह सिद्ध हो गया कि ढाँचा किसी हिन्दू मन्दिर/स्थल को तोड़कर बनाया गया है तो वे अपना दावा वापिस ले लेंगे (vide Paras 2.1, 2.2 and 2.3 of the White Paper of Government of India)।अतः पूज्य सन्तों का यह मानना है कि श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर बनाने में अब और विलम्ब नहीं होना चाहिए तथा इसके निर्विघ्न निर्माण के लिए संसद में कानून पारित होना चाहिए। अपनी माँग को प्रबल करने के लिए पूज्य सन्तों ने फरवरी, 2013 में कुम्भ के अवसर पर कुछ अनुष्ठान व जन जागरण के कार्यक्रम निर्धारित किए थे। पूज्य सन्त इस सम्बन्ध में 30 मई, 2013 को आपसे

मिले भी थे और अपनी बात आप तक पहुँचाई थी। आपसे अनुरोध किया था कि आप केन्द्र सरकार को संसद में कानून बनाने के लिए प्रेरित करें।

दिनांक 11–12 जून, 2013 को हरिद्वार में पूज्य सन्तों की केन्द्रीय मार्गदर्शक मण्डल की बैठक में श्रीराम जन्मभूमि पर संसद में जल्दी कानून बनवाने की माँग को सफल करने के लिए श्रीअयोध्याजी की 84 कोसी परिक्रमा का अनुष्ठान निश्चित किया गया था, जिसके अनुरूप 25 अगस्त, 2013 से 13 सितम्बर, 2013 तक श्रीअयोध्याजी पुण्यक्षेत्र के चारों ओर 84 कोसी परिक्रमा देशभर के पूज्य सन्तों द्वारा शान्तिपूर्वक की जानी थी। पूज्य सन्त इस सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से भी मिले थे और उनसे भी आग्रह किया था कि इस धार्मिक अनुष्ठान को सहजतापूर्वक सफल होने दें किन्तु 18 अगस्त, 2013 को प्रदेश के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक ने यात्रा को अनुमति न दिए जाने की घोषणा कर दी और दिनांक 25 अगस्त, 2013 को होने वाली परिक्रमा को रोक दिया, जो कि हिन्दू समाज के मौलिक अधिकारों का हनन है।

धार्मिक क्षेत्र की परिक्रमा हिन्दू समाज का मौलिक अधिकार है। देश के हर देशभक्त नागरिक को देश के भौगोलिक क्षेत्र में कभी भी, कहीं भी यात्रा या पदयात्रा करने का अधिकार है, इस पर कोई भी सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती। परिक्रमा को रोका जाना यह लोकतंत्र की हत्या है और हिन्दू समाज का अपमान व दमन है।

आपसे अनुरोध है कि अपनी लोकतांत्रिक शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बाध्य करें कि वह हिन्दू समाज को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों से वंचित न करे।

भवदीय

.....

.....

.....